AMOGHVARTA

ISSN : 2583-3189

महिला उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का महिला शिक्षा पर प्रभाव

ORIGINAL ARTICLE

Author
कबिता पारीक,
शोधार्थी, शिक्षा विभाग,
राज. विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान, भारत

शोध सार

"छोड़ो मुझे जाने दो,
मेरी भी जिन्दगी है, मुझे जीने दो
क्या, गुनाह किया था मैने जन्म लेकें?
क्यूँ ये दुनिया बेटी के नाम से चिढ़ती है?
क्यूँ ये दुनिया बहु को जलाती है?
क्युँ ये दुनिया मुझे नोच के खाती है?
तेरे आँचल में मुझे समा ले माँ
मुझे भी खुलकर जीने का हक दिला दे माँ।"

एक महिला अपने जीवन में हर रूप से रूबरू होती है, लेकिन हर एक रूप में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इन मुश्किलों को समझने और उनका सामना करने के लिए महिला शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन यह शिक्षा की सीढ़ी चढ़ना, उनके लिए इतना आसान नहीं होता, उन्हें कई तरह के अत्याचार और घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है। इस लेख के माध्यम से लेखिका इस बात पर चर्चा करना चाहती हैं, कि कैसे महिलाओं को अपनी शिक्षा पूरी करने में विभिन्न कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है और महिलाओं की शिक्षा पर दो बड़ी समस्या "महिला उत्पीड़न और घरेलू हिंसा" का क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ लेखिका ने कुछ ऐसे कदमों के बारें में भी चर्चा की है कि कैसे महिलाएँ अपने जीवन के बारे में जागरूक हो सकती है।

मुख्य शब्द

महिला उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, महिला शिक्षा।

प्रस्तावना

"शिक्षा का अधिकार सबका है,
परन्तु मैं यह ले नहीं पाती
कभी अपने दम पे शुरूआत कर लूँ
फिर भी पूरा कर नहीं पाती
किसी के देख–रेख में कितने दिन रहूंगी?
क्या मैं अकेली चल नहीं पाती?
क्यों मैं अकेली चल नहीं पाती?"

"शिक्षा"– केवल यह एक ऐसा शब्द है जो सबके लिए समान है, जिस पर सबका अधिकार है परन्तु क्या यह अधिकार सब ले पाते है ? आज हमारे देश ने तरक्की कर ली है, हर काम में हम आधुनिक है, थोड़ा सोचा.. क्या हमारे लिए "आधुनिक" शब्द का प्रयोग करना सच में सही हैं? क्या हम सच में आधुनिक हैं?

आइयें आज थोड़ा इस बारे में सोचकर देखते है, आज भी हमारे देश की बेटियाँ कोख में ही मार दी जाती है। बहुत ही कम परिवार ऐसे मिलते है जहाँ पर बेटियों के जन्म पर उन्हें दुआ दी जाती है, उन्हें पढ़ने का अपना हक माँगना नहीं पड़ता है। आज बेटियों को घर से निकलने के लिए सोचना पड़ता है और आज भी कई परिवारों में बेटियाँ बोझ मान ली जाती है।

हमारे यहाँ बेटियां कुछ ही लोगों को चाहिये होती है, लेकिन बहू सब को चाहिये होती है। बहु घर में आते ही यह देखा जाता है कि वह अपने साथ क्या–क्या लेकर आई है? कई बार तो यह लालच इतना अधिक बढ़ जाता है कि उन्हें मार ही दिया जाता है या फिर उनके साथ इतना अत्याचार किया जाता है कि वे इस अत्याचार से दुखी होकर आत्महत्या जैसे कदम उठाने पर मजबूर हो जाती है।

आज हमारे देश में बहुत ही कम लड़कियों को घर से बाहर जाकर शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिलता है, अगर कभी यह कोशिश भी करती है तो शोषण का शिकार बनते देर नहीं लगती। अरे! यहां एक गलती हो गई, घर के बाहर जाने की जरूरत ही नहीं होती वह तो अपने घर में भी सुरक्षित नहीं होती। इसके बाद भी यह सब खत्म नहीं होता, यहां शोषण का शिकार होने का कारण भी उस लड़की को ही बता दिया जाता है, क्योंकि गलती शोषण करने वाले की नहीं है, गलती तो उस लड़की के कपड़ों की है, उसके चाल–चलन की बताई जाती है। यह अत्याचार केवल दहेज के लिए नहीं होता, यह अत्याचार तो बेटे को जन्म न दे पाने से भी किया जाता है, क्योंकि बेटा या बेटी का होना केवल बहू पर जो निर्भर होता है, बेटे की तो इसमें कोई भूमिका ही नहीं होती है, क्या यह सच है?

क्या सच में यह सब सही है? अब खुद से पूछो क्या सच में हम आधुनिक है? क्या ये शिक्षा का अधिकार जो सबका है, वह सच में सब ले पाते है?

महिला उत्पीड़न और महिलाओं के जीवन पर इसका प्रभाव

"मैं चाहती हूँ उड़ना, मेरे पंख काट लिये जाते है, मैं चाहती हूँ चलना, मुझे रोक लिया जाता है, सिर्फ इतने में ही खुश कहाँ है ये दुनिया, मुझसे तो मेरे जीने का हक ही छीन लिया जाता है।

उत्पीड़न

इस शब्द का अर्थ केवल परेशान करना या पीड़ा देना नहीं होता, अगर हम इसके बारे में थोड़ा गम्भीरता से सोचें तो यह शब्द इतना गहरा है, जो हम सबको मानसिक रूप से बैचेन और परेशान कर सकता है। एक महिला को उसके जीवन के प्रत्येक क्षण में इस भयंकर शब्द का सामना करना पड़ता है। चाहे वह एक माह की बच्ची हो या सत्तर साल की कोई बुजुर्ग महिला।

"खाना खाने के लिए तो फिर भी थाली चाहिये होती है, मुझे तो आँखों से ही खा लिया जाता है।"

महिला उत्पीड़नः– इस शब्द की धारणा शायद ही कुछ शब्दों में दी जा सकती है, क्योंकि इस उत्पीड़न शब्द का कोई एक पक्ष नहीं होता, जैसे की मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक। इन सब के साथ और भी कई पहलू इस एक शब्द के साथ जुड़े हुए होते है। अब आप सोचकर देखिये कि इतने आयामों वाले शब्द की व्याख्या करना इतना सरल तो नहीं हो सकता और जब एक महिला को इस शब्द का वास्तव में सामना करना पड़ता है, तो वह तो और भी ज्यादा कठिन होता होगा।

"उत्पीड़न" अगर इस शब्द को हम बहुत सरल तरीके से समझना चाहे तो हम यह कह सकते है कि इसका अर्थ है तकलीफ देना। अब सोचिये कि शारीरिक, मानसिक, यौन संबंधित, भावनात्मक रूप से तकलीफ जो उसे किसी दुसरे व्यक्ति द्वारा दी जाती है, यह ना तो उस महिला या बालिका को जीने देती है, ना ही उसे मरने देती

है। यह शब्द महिला समाज के लिए एक ऐसा खौफ है जो उन्हें खुल के जीने भी नहीं देता, न ही घर के अन्दर और ना ही समाज के अन्दर। इसके लिए ना ही कोई उम्र होती है और ना ही कोई समय, तो आप ही सोचिये ऐसे में कोई खुलकर भला कैसे जी सकता है।

घरेलु हिंसा और महिलाओं के जीवन पर इसका प्रभाव

घरेलु हिंसाः– घरेलु अर्थात् घर के अन्दर तथा हिंसा अर्थात् अत्याचार। अर्थात् घर के अंदर महिलाओं के उपर होने वाला अत्याचार।

इसे हम यह भी कह सकते है कि घरेलू हिंसा अपनों के द्वारा किया गया अत्याचार है। घरेलू हिंसा अर्थात् कोई ऐसा कार्य जो किसी महिला एवं बच्चे (18 वर्ष से कम आयु के बालक एवं बालिका) के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन पर संकट, आर्थिक क्षति और ऐसी क्षति जो असहनीय हो तथा जिससे महिला व बच्चे को दुःख एवं अपमान सहन करना पड़े इन सभी को घरेलू हिंसा के दायरे में शामिल किया जाता है।

हमारे देश में महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा के कुछ मुख्य कारण देखने को मिलते है, जैसे–प्राप्त दहेज से असंतुष्टि, बहु द्वारा पुत्र संतान को जन्म नहीं दे पाना, इसके अलावा भी घरेलू हिंसा के कुछ अन्य कारण, अपने मायके (माता–पिता) वालों का सहयोग करना, घरेलू कार्य में निपुण ना होना आदि।

महिलाओं के लिए घरेलु हिंसा तब बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है जब एक महिला को शारीरिक और मानसिक संपुर्ण रूप से तोड़ दिया जाता है। इससे या तो उसकी हत्या कर दी जाती है या फिर उसे आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया जाता है। हमारे देश में घरेलु हिंसा को रोकने के लिए कानून जरूर बने है परंतु अधिकतर महिलाएँ आज भी इन से अवगत नहीं हो पायी है। उन्हें यह लगता है कि "अगर हम आवाज उठाते है तो लोग क्या कहेंगें? महिलाओं को तो थोड़ा बहुत सहन करना ही पड़ता है, परिवार की इज्जत उछालना कोई समझदारी वाली बात है क्या? यह तो घर समाज की बात है।"

यदि किसी महिला ने अपने जीवन में घरेलु हिंसा का सामना किया है तो उसके लिये इस डर से बाहर आ पाना अत्याधिक कठिन होता है। अत्याधिक रूप से घरेलु हिंसा का शिकार होने के बाद महिला की सोच में नकारात्मकता हावी हो जाती है। उस महिला को स्थिर जीवन शैली की मुख्यधारा में लौटने के लिए कई वर्ष लग जाते है। घरेलु हिंसा का सबसे बुरा पहलू यह है कि इससे पीड़ित महिला मानसिक रूप से इतना टूट जाती है कि यह वापस सामान्य जीवन में नही आ पाती। ऐसे मामले में अक्सर यह देखा गया है कि यह या तो अपना मानसिक संतुलन खो बैठती है या फिर अवसाद का शिकार हो जाती है।

घरेलु हिंसा की यह सबसे भयानक और दुःखद स्थिति है कि जिन लोगों पर हम इतना भरोसा करते है और जिनके साथ रहते है जब वही हमें इस तरह का दुःख देते है तो व्यक्ति का रिश्तों पर से विश्वास ही उठ जाता है और वह स्वयं को अकेला कर लेती है। इसके द्वारा महिलाओं के जीवन की गुणात्मकता और गुणवत्ता पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हिंसा की शिकार हुई महिलाए सामाजिक जीवन की विभिन्न गतिविधियो में कम भाग लेती है।

महिला शिक्षा

महिला शिक्षा का अर्थ है – महिलाओं को उचित दर पर, उचित पैमाने पर आवश्यकता अनुसार शिक्षित करना ताकि वे दैनिक जीवन के कार्य करने में, आर्थिक उपार्जन में, परिवार की देख–रेख में, स्वावलम्ब हों सकें। वह किसी और पर निर्भर ना हो, वह सशक्त हों, वह सहीं और गलत को समझने की क्षमता रख सके। इसका मतलब महिला शिक्षा का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को योग्य माता, योग्य पत्नी, योग्य गृहणी बनाने के साथ–साथ समाज की एक योग्य नारी शक्ति एवं योग्य नागरिक भी बनाना है। भारतीय संविधान में महिलाओं को पुरूष के समान सम्मान अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन भारतीय समाज क्या सच में ऐसा ही करता है ?

भारतीय समाज में महिलाओं को शिक्षा से जुडे रहने के लिए आज भी संघर्ष करना पड़ता है। बहुत कम लड़कियों का स्कुलों में दाखिला कराया जाता है और उनमें से भी कई बीच में ही स्कूल छोड़ देती है। इसके अलावा कई लड़कियाँ रूढ़िवादी सांस्कृतिक, रवैये के कारण स्कूल नहीं जा पाती है जिसके कारण कई अभिभावक लड़कियों को स्कूल भेजने से कतराते है। हालाँकि सरकार द्वारा इस क्षेत्र में काफी अच्छा प्रयास किया गया हैं, परन्तु वे सभी प्रयास इस मुद्दे को पूर्णतः संबंधित करने में असफल रहें है।

महिला शिक्षा महिलाओं को जागरूक करने की एक महत्वपूर्ण चाबी है। यह चाबी उनके उज्ज्वल भविष्य के रास्ते में लगे हुए ताले को खोल सकती है। महिलाओं को शिक्षित करना भारत में कई सामाजिक बुराईयों जैसे–दहेज प्रथा, कन्या भ्रुण हत्या और कार्यस्थल पर उत्पीड़न आदि को दूर करने की कुंजी साबित हो सकती है। यह निश्चित तौर पर देश के आर्थिक विकास में भी सहायक होगा, क्योंकि अधिक से अधिक शिक्षित महिलाएँ देश के श्रम बल में हिस्सा ले पाएँगी।

"पुरूष की शिक्षा उसे काफी हद तक लाभान्वित करती है,परंतु एक लड़की को शिक्षित करना उसके पूरे परिवार को शिक्षित करने के बराबर है।" *–स्वामी विवेकानन्द*

महिला उत्पीड़न और घरेलु हिंसा का महिला शिक्षा पर प्रभाव

दैनिक जीवन में उत्पीड़न शब्द को हर क्षेत्र में हर रोज बार–बार सुनने के बाद माता–पिता, अभिभावक अपनी बच्चियों को घर से बाहर निकालने से घबराते है। बच्चियाँ खुद भी एक उस डर के साथ चलती है, ऐसे में अगर हम बात करें विद्यालय जैसे पवित्र स्थान की, तो यह भी बच्चियों के लिये सुरक्षित नही है, फिर हम सर्वशिक्षा के लिये कैसे सोच सकते है? इसके अलावा अगर हम बात करते है, घरेलू हिंसा की तो यह भी महिला शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। घरेलू हिंसा का शिकार होने के बाद वह महिला अपने आप में इतना टूट जाती है। कि वह अपने सपनों को ही मार डालती है। शिक्षा इसके अन्तर्गत सपनों में से एक होता है। अगर वह शिक्षा ही नहीं ले पार ही है तब यह उन्हें कैसे समझाया जा सकता है कि क्या सही है और क्या गलत? उनका कानुनी अधिकार क्या है?

हम शिक्षा पर इन दोनों क्षेत्रों के द्वारा पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में समझने की कोशिश करेंगेः–

उत्पीड़न केवल समाज में ही नहीं होता घर में भी बच्चियों को इससे गुजरना पड़ता है और तब वह बच्चियाँ भरोसा खो बैठती है, मानसिक रूप से इतना बिखर जाती है कि वह खुद को हर क्षेत्र में बिल्कुल अकेला समझ लेती है।

माता–पिता या अभिभावक अपनी बच्चियों को पृथक रूप से बालिका विद्यालय में भेजना चाहते है, यह सोचकर की शायद वहाँ उनकी बच्चियां सुरक्षित रहे, लेकिन हर जगह यह सुविधा उपलब्ध न होने की वजह से वह उन्हें उनके इस अधिकार से वंचित कर देते हैं। खास कर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अधिकतर ग्रामीण बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए शहरी क्षेत्र में जाने की आवश्यकता होती है, लेकिन समाज के इस भयावह रूप के कारण उन्हें यह अनुमति नहीं मिलती है और उनकी शिक्षा वहीं समाप्त कर दी जाती है।

विवाह के बाद बहुत ही कम महिलायें अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा पाती है। परिवार के तनाव से उन्हें अपने स्वप्नों को समेटना पड़ता है। अगर यह ऐसा नही करती है तो काफी मामलों में उन्हें घरेलु हिंसा का शिकार होना पड़ सकता है।

महिला शिक्षा महिलाओं कें जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, परंतु इसे ग्रहण करने के लिए आगे बढ़ाने के लिए उन्हें खुद संघर्ष करना पड़ता है। अगर यह शिक्षा समस्त महिलाएं ग्रहण कर पाये तो शायद यह उत्पीड़न घरेलु हिंसा जैसे अत्याचार एक दिन संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाये क्योंकि इसके द्वारा वह अपने अधिकारों को समझ

सकती है, सही–गलत का निर्णय ले सकती है। गलती के विरूद्ध आवाज उठाने की हिम्मत कर सकती है और दुसरों को भी समझा सकती है।

महिलाओं के लिए कुछ विचारोत्तेजक कदम

अपने अधिकार के लिए महिलाओं को खुद को सचेत और जागरूक होना अति आवश्यक है। निम्न में महिलाओं की जागरूकता के लिए कुछ विचारोत्तेजक कदमों का उल्लेख किया गया हैः–

- अपने आपको शिक्षित करने की शपथ आप खुद ले सकती है। जरूरी नहीं है हर जगह से आपको सहयोग मिले, अपने अधिकार के लिए आपको खुद बिना डरे, डटके खड़े रहना सीखना होगा।
- अपने अधिकारों को जानने व समझने की कोशिश करनी होगी।
- अपने आपके लिए, अपने स्वप्नों के लिए स्थिर रहें अपनी आवाज बनें।
- गलत को गलत बोलने की हिम्मत रखे, चुप रह कर सहन करोगे, तो कोई आप के लिए खड़ा नहीं होगा। आप खुद गलत को समझो और गलत के खिलाफ आवाज उठाओ।
- किसी से डरने की, गलत बात सहने की जरूरत क्या है, आज जो आप के साथ हुआ है, वह कल आप की बहन, बेटी, बहु के साथ भी तो हो सकता है तो समस्या को सहन करने की नहीं, जड़ से खत्म करने की कोशिश आपको खुद ही करनी होगी।
- अपनी आत्म रक्षा खुद करना सीखे।

"तुम्हारी समस्या है, तुम खुद बोलना सीखो,
दुसरा क्यों कुछ बोलेगा, इसकों समझना सीखो,
कब तक लोगी किसी और की मदद ?
अपनी आवाज तु खुद बनना सीखो।।"

अब निम्न में कुछ दायित्व अध्यापक–अध्यापिका, माता–पिता और समाज के सदस्यों के लिए उल्लेखित किये जाते हैः–

- विद्यालय परिवार में बच्चियों को उनके साथ होने वाले उत्पीड़न के संबंध में समझाने का प्रयास हम कर सकते है। इसके द्वारा हम उन्हें जागरूक करने का प्रयास कर सकते है। साथ में यह माहौल भी उनके लिए बना सकते है कि वह बिना डरे अपनी समस्या हमे बता सकें।
- बच्चियों को बचपन से ही आत्मरक्षा के कौशल की शिक्षा देने की व्यवस्था कर सकते है, ताकि उन्हें अपनी आत्मरक्षा के लिए किसी ओर पर निर्भर ना रहना पडे।
- विद्यालय शिक्षा में मूल्य बोध की शिक्षा को हम शामिल कर सकते हैं, ताकि बचपन से ही बच्चों को सही और गलत में भेद करना सिखाया जा सकें।
- विद्यालय में कम से कम प्रतिमाह में एक बार बच्चियों के लिए व्यक्तिगत और समूह में परामर्श सेवा का आयोजन करना चाहिए।
- खेल–खेल में या नाट्य कला प्रदर्शन द्वारा बच्चों को मूल्य बोध की शिक्षा देने का प्रयास करना चाहिए।

निष्कर्ष

इस सम्पूर्ण उपयुक्त आलोचना के बाद हम यह कह सकते है कि महिला उत्पीड़न और घरेलू हिंसा, यह दोनों विषय ही एक महिला के जीवन को झक झोरकर रख देते है। इन शब्दों को सिर्फ सुनने से ही रूह काँप जाती है तो सोचो सहन करने वालों की हालत क्या होती होगी। ऐसा तो नही की इनका समाधान संभव नहीं है। जहाँ समस्या है वहां समाधान अवश्य होता है। इसके समाधान में शिक्षा अहम भूमिका निभाती है, लेकिन महिलाओं के लिए इस आवश्यक विषय को हम बहुत ही हल्के मे लेते है। जिस वर्ग को यह समस्या है समाधान की सबसे ज्यादा

आवश्यकता भी तो उसी को होगी ना। अतः सरकार से समाज के लोगों से, खास कर लड़कियों के माता–पिता से, महिलाओं के जीवन साथियों से लेखिका की यह मांग और विनती है कि–लड़कियों एवं महिलाओं को अपनी समस्या बताने का मौका और क्षेत्र दिया जाये, उन्हें अपने आप में स्वावलम्ब बनने के लिए प्रोत्साहित किया जायें, महिलाओं को उनके अधिकारों को समझने के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जाये, हर क्षेत्र में एक ऐसी समिति का निर्माण किया जायें जो महिनें में एक या दो बार अचानक से संदेहजनक परिवारों में जाकर निरीक्षण करें और विभिन्न अभियानों के द्वारा विद्यालय में, समाज में महिलाओं में जागरूकता का विकास करें।

संदर्भ सूची

1. Crime in India. New Delhi: National Crime Records Bureau; 2011 Retrieved from: http://ncrb.nic.in/.
2. Koenig, M. A., Ahmed, S., Hossain, M. B & Mozumder, A. B. M. K. A. (2003). Women's Status and Domestic Violence in Rural Bangladesh: Individual- and Community-Level Effects. Demography, 40 (2), 269-288. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/10.2307/3180801
3. Nahar Paprun, Reeuwisk Van Reisr (2013) Contextualizing Sexual Harassment of Adolescent women In Bangladesh, Report Health Matters, Vol. 21 Issues 41, pp. 73-86.
4. Naved, R. T., and Persson, L. A. (2005). Factors associated with spousal physical violence against women in Bangladesh. Studies in Family Planning, 36(4), 289-300.
5. Pasko Lisa (2010) Damaged Daughter: The History of Women Sexuality and the Juvenile Justice System- 100 J. CRIM, L. & Criminology 1099.
6. UNICEF (1999). A study by Domestic Violence Research Centre, Japan Violence against Women," WHO, FRH/WHD/97.8, "Women in Transition," Regional Monitoring Report,
7. World Health Organization. (2005). WHO Multi-country Study on Women's Health and Domestic Violence against Women. Retrieved from http://www.who.int/gender/violence/ who_multicountry_study/summary_report/summary_report_English2. pdf
8. Https://www.drishtiias.com

––==00==––